म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 8204 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I / 2013 भोपाल, दिनांकः 4 / 10 / 2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 के संधारण बाबत्।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 की कंडिका 9 में योजना अंतर्गत संपादित कार्यो में सामग्री मद में 40 % की सीमा तक राशि व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा की नवीन गाइड लाईन 2013 के अध्याय 7 के बिन्दु क. 7.1.5 (iii) में ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित कार्यो में मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 ग्राम पंचायत स्तर पर एवं लाईन विभाग/अन्य एजेन्सियों द्वारा संपादित कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात जनपद पंचायत स्तर पर संधारित किये जाने का उल्लेख है।

विभागीय कार्यो की समीक्षा हेतु आयोजित वीडियो कांफ्रेसिंग दि. 27.09.2013 को कतिपय जिला कलेक्टरों द्वारा जिले की भौगोलिक स्थिति एवं योजना अंतर्गत जोड़े गये सामग्रीमूलक नवीन कार्यों के कारण ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात संधारित किये जाने में कठिनाई होने एवं सुचारू रूप से योजना क्रियान्वयन प्रभावित होने की स्थिति से अवगत कराया। इसे दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि

1. ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारित किये जाने के प्रयास किये जावे। परन्तु कतिपय ग्राम पंचायतों में श्रम मूलक कार्यो की कमी/ भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं होने की दशा में निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात जनपद पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. शासकीय विभागों/अन्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संपादित कराये जाने वाले कार्यो में निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात जनपद स्तर पर संधारित किया जाना होगा।

3. जिले में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र – पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, स्टाप डेम आदि पक्के निर्माण लिये जाने पर निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 जिला स्तर संधारित किया जा सकेगा।

4. निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात कार्यवार न होकर पूरे वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कार्यो में संधारित होना आवश्यक है। अतएव कियान्वयन एजेन्सियों से श्रममूलक कार्यो का संपादन पहले करावे, जिससे हमेशा मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 की सीमा में रहे।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुये योजना कियान्वयन में गति लाये एवं विगत वर्ष की तुलना में जिले का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करे।

2/9/13

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./ 8205 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 4/10 /2013

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. निज सचिव मान. राज्यमंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. आयुक्त, पंचायत राज म.प्र.।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
6. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल म.प्र.।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग म.प्र.
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/9/13

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग